न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 850 / 2023

अनवान : –

1. नारायणी पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट साकिन सोतीबड़ी तहसील नोहर ।

– **वादीगण**

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
2. अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड भादरा तहसील भादरा।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 ,राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– 1. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
2. पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 25/11/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 25 डी.पी.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 116 / 70 के प.न. 340 / 436 मु.न. 15 के किला नं. 5 / 1 की 0. 0250 हैक्टर गै. मु. खाला, 5 / 2 की 0.228 हैक्टर, किला नं. 6 / 1 की 0.0260 हैक्टर गै.मु, खाला, 6 / 2 की 0.227 हैक्टर भूमि एवं प.न. 341 / 436 मु.न. 16 के किला नं. 1.10, की 0. 5060 हैक्टर भूमि कुल 6 किता की 1.0120 हैक्टर भूमि स्थित है जिसकी वादिया खातेदार काश्तकार है

रोही मौजा चक 25 डी.पी.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 116 / 70 के प.न. 340 / 436 मु.न. 15 के किला नं. 5 / 1 की 0.0250 हैक्टर किला नं. 6 / 1 की 0.0260 हैक्टर गै.मु. खाला दर्ज है लेकिन उक्त किलो में 2–2 बिस्वा गैर मुमकिन खाला दर्ज है लेकिन मौके पर अब खाला नही है ना ही खाला की आवश्यकता है, क्योंकि सिंचित क्षेत्र विकास विभाग द्वारा संशोधित कर स्वीकृत चक स्कीम में अन्य जगह पर नया खाला स्वीकृत कर लिया गया है इसलिए पुराने खाला की आवशकता नही है। रोही मौजा चक 25 डी.पी.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 116 / 70 के प.न. 340 / 436 मु.न. 15 के किला नं. 5 व 6 में 2–2 बिस्वा गै.मु. खाला दर्ज कर दिया गया है को मुमकिन दर्ज करवा गै.मु. खाला की कृषि भूमि अपने नाम मुमकिन दर्ज करवा पाने का अधिकारी है यही बिनाय दावा है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा वाद के समर्थन में नकल जमाबंदी रोही मौजा 25 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 के खाता स0 116 / 70 पेश की जो की शामिल मिसल की गई। तहसीलदार नोहर द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रेषित की गई कि रोही मौजा चक 25 डी.पी.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 116 / 70 के प.न. 340 / 436 मु.न. 15 के किला नं. 5 व 6 में 2–2 बिस्वा गै.मु. खाला दर्ज लेकिन मौके पर कोई खाता निर्मित नही है एवं न ही चालु है एवं अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड भादरा द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई कि रोही मौजा चक 25 डी.पी.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 116 / 70 के प.न. 340 / 436 मु.न. 15 के किला नं. 5 व 6 ... स्कीम के अभिलेखागार अनुसार कोई खाला नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 12:03:06 IST
Reason: SelfAttested

साक्ष्यवादी में वादी द्वारा शपथ पत्र पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

Rahul.
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रोही मौजा चक 25 डी.पी.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 116/70 के प.न. 340/436 मु.न. 15 के किला नं. 5/1 की 0.0250 हैक्टर किला नं. 6/1 की 0.0260 हैक्टर गै.मु. खाला दर्ज है लेकिन उक्त किलो में 2–2 बिस्वा गैर मुमकिन खाला दर्ज है लेकिन मौके पर अब खाला नही है ना ही खाला की आवश्यकता है, क्योंकि सिंचित क्षेत्र विकास विभाग द्वारा संशोधित कर स्वीकृत चक स्कीम में अन्य जगह पर नया खाला स्वीकृत कर लिया गया है इसलिए पुराने खाला की आवश्कता नही है। रोही मौजा चक 25 डी.पी.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 116/70 के प.न. 340/436 मु.न. 15 के किला नं. 5 व 6 में 2–2 बिस्वा गै.मु. खाला दर्ज कर दिया गया है को मुमकिन दर्ज करवा गै.मु. खाला की कृषि भूमि अपने नाम मुमकिन दर्ज करवा पाने का अधिकारी है

पेरोकार राज ने निवेदन किया वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं राज्य हकों को ध्यान मे रखते हुए वाद का निस्तारण किया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों यथा नवीनतम जमाबंदी का अवलोकन किया वाद में प्रस्तत रिकार्ड के अनुसार कि रोही मौजा चक 25 डी. पी.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 116/70 के प.न. 340/436 मु.न. 15 के किला नं. 5/1 की 0. 0250 हैक्टर गै. मु. खाला, 5/2 की 0.228 हैक्टर, किला नं. 6/1 की 0.0260 हैक्टर गै.मु, खाला, 6/2 की 0.227 हैक्टर भूमि एवं प.न. 341/436 मु.न. 16 के किला नं. 1.10, की 0. 5060 हैक्टर भूमि कुल 6 किता की 1.0120 हैक्टर भूमि स्थित है जिसकी वादिया खातेदार काश्तकार है वादी का कथन है कि मौके पर अब खाला नही है क्योंकि सिचिंत क्षेत्र विकास विभाग द्वारा संशोधित कर स्वीकृत चक स्कीम में अन्य जगह पर नया खाला स्वीकृत किया गया है इसलिए गै0मु0 खाला भूमि को मुमकिन दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड भादरा द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रेषित की गई की रोही मौजा चक 25 डी.पी.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 116/70 के प.न. 340/436 मु.न. 15 के किला नं. 5 व 6 में सीएडी स्कीम के अभिलेखागार अनुसार कोई खाला नही है एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के मुताबिक उ रोही मौजा चक 25 डी.पी.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 116/70 के प.न. 340/436 मु.न. 15 के किला नं. 5 व 6 में 2–2 बिस्वा गै.मु. खाला दर्ज लेकिन मौके पर कोई खाता निर्मित नही है एवं न ही चालु है इसलिए गै0मु0 खाला की भूमि को मुमकिन दर्ज किया जाना उचित है।

गै0मु0 खाला अथवा रास्ता के बदलाव/निरस्तीकरण हेतु राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेशन) शर्ते 1955 की शर्त संख्या 8(1) व 8(2) में वर्णित प्रावधानों व प्रदत्त शक्तियों तथा न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2011(1) स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम राजपाल पेज न0 167, आरआरडी 1987 पेज न0 279 एवं आरआरडी 1998 पेज न0 699 के अनुसार जब कभी भी किसी कारणवंश पूर्व में निर्मित रास्ता एवं खाले को निरस्त किया जाता है तो वह रास्ता एवं खाले की भूमि उसी काश्तकार के खाते में प्रत्याहित हो जावेंगी जिसके खाते में यह कम की गई थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 12:03:06 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तोवजों के अवलोकन [illegible] की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम दर्ज है तथा [illegible] चक 25 डी.पी.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 116/70 के प.न. 340/436 मु.न. 15 के किला नं. 5 व 6 में 2–2 बिस्वा गै.मु. खाला दर्ज है लेकिन वर्तमान में जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार उक्त किलों में खाला स्वीकृत नही किया गया है तथा तहसीलदार नोहर के रिपोर्ट के अनुसार उक्त किलों में खाले का

निर्माण नही है एवं न ही चालु है अब सिंचाई विभाग द्वारा खाला अन्य जगह पर स्वीकृत किया जा चुका है इसलिए वादी की भूमि में से गै0मु0 खाला के लिए कम की गई भूमि को पुनः वादी अपने नाम बतौर खातेदार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

तहसीलदार नोहर एवं अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड भादरा द्वारा भी रिपोर्ट प्रेषित कि गई की उक्त किलों में वर्तमान में कोई खाला नही है एवं नई चक स्कीम के अन्तर्गत भी उक्त किलों में खाता स्वीकृत भी नही है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों, पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं जल संसाधन विभाग भादरा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार (राजस्व) नोहर की रिपोर्ट के आधार पर वाद वादीगण साबित होने के कारण स्वीकार योग्य है।

अतः अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड भादरा एवं तहसीदार (राजस्व) नोहर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 25 डी.पी.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 116/70 के प.न. 340/436 मु.न. 15 के किला नं. 5 व 6 में 2–2 बिस्वा गै.मु. खाला की बजाये वादी के खातेदारी/मुमकिन भूमि घोषित किया जाता हैयदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हों। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25/11/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 12:03:06 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 850/2023
अनवान : –

1. नारायणी पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट साकिन सोतीबड़ी तहसील नोहर ।

– **वादीगण**

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
2. अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड भादरा तहसील भादरा।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 850 सन 2023 निर्णय दिनांक 25/11/25

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड भादरा एवं तहसीलदार नोहर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 25 डी.पी.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 116/70 के प.न. 340/436 मु.न. 15 के किला नं. 5 व 6 में 2–2 बिस्वा गै.मु. खाला की बजाये वादी के खातेदारी/मुमकिन भूमि घोषित किया जाता हैयदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हों। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/11/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 12:03:06 IST
Reason: SelfAttested